# प्रेस नोट 23.08.2020

**114 लीटर अवैध देशी/कच्ची शराब बरामद 07 गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा बख्तावरगंज के पास से मु0जाहिद पुत्र शौकत अली निवासी हमीदपुरा थाना दक्षिणटोला के कब्जे से 20 लीटर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा ढोलनापुर से यामदेव पुत्र छोटूराम निवासी हरनासाथ थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 20 शीशी (200 मिली0) बन्टी बबली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा गजियापुर से अविनाश पुत्र रामचन्द्र निवासी भानपुर दुबारी मधुबन के कब्जे से 20 लीटर देशी शराब, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा बडकी बारी से रामसरिख पुत्र शिवशंकर निवासी बड़की बारी थाना दोहरीघाट के कब्जे से 40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रेवडीडीह से राजेश पुत्र कल्पनाथ निवासी डाडी थाना कोपागंज के कब्जे से 10 लीटर, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा गहनी तिराहा से हरेराम पुत्र अन्तु, प्रदीप पुत्र राजाराम दोनों के कब्जे से 10–10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद–**

दिनांक 22.08.20 को थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जहांगिराबाद के पास से दिलशाद पुत्र जलील अहमद निवासी भटकुआपट्टी थाना दक्षिणटोला मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

1. दिलशाद पुत्र जलील अहमद निवासी भटकुआपट्टी थाना दक्षिणटोला मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

**02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 23.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा भीमपुरा तिराहे के पास से मु0अ0सं0 327/20 धारा 147,148,323,504,506,336,427,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त निर्मल सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी कुडसरा थाना हलधरपुर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 299/20 धारा 363,120 बी भादवि0 व 16/17 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त विपिन शर्मा पुत्र दीनानाथ शर्मा निवासी नरहरपुर थाना मधुबन को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**शांति भंग की आशंका में 29 व्यक्ति गिरफ्तार–**

आज दिनांक 23.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा श्यामनरायण निवासी सियरही, भुवाल निवासी सदर बाजार थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा रामप्रसाद निवासी बड़ागांव, मैनुद्दीन, कासिम, सकिल, कमरूद्दीन निवासीगण भीखमपुर, रणविजय निवासी गरूआ थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा दिनेश राम, भीमराम निवासीगण गहनी थाना हलधरपुर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा हरिचन्द्र, रामदास जनार्दन निवासीगण ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा मनोहर, चन्द्रदेव निवासीगण कुचिला नरायणपुर, कृष्णा, घूरा निवासी धर्मपुर विसूनपुर, नितेश निवासी इब्राहिमाबाद थाना मधुबन, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा सुमन, दुर्गविजय, योगेश निवासी रानीपुर, गोविन्द, सुनील निवासीगण बखरिया थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा योगेन्द्र निवासी कहिनौर, रामसनुज, रामशब्द, श्यामलाल, रामअशीष निवासीगण चकबभनियाव थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–**

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 22.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 23.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 351 बैरियर प्वाइंट (296 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 22 व्यक्तियों के विरूद्ध 15 अभियोग पंजीकृत कर 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1648 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 129 वाहनों का चालान तथा 32 हजार 500 रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

**साथ ही साथ** मास्क न लगाने पर किये गये 215 चालान व वसूले गये 20 हजार 800 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 75 चालान व वसूले गये 11 हजार 700 जुर्माना सहित कुल 65 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।

**आज दिनांक 23.08.20 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर द्वारा पुलिस लाइन में अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियत्रण किये जाने के कम में अपराध समीक्षा बैठक तथा सैनिक सम्मेलन किया गया।** इस दौरान सर्वप्रथम महोदय द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा इसके समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। उसके उपरान्त महोदय द्वारा अपराध समीक्षा बैठक की गयी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित आदेश/निर्देश निर्गत किये गये–

1. धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत शत प्रतिशत जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा क्षेत्राधिकारी प्रतिदिन प्रगति से अवगत करायें।
2. किसी भी घटना के घटित होनें पर तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया जाये।
3. पुलिस उपमहानिदेशक द्वारा चलाये गये 06 बिन्दुओं अभियान में कृत कार्यवाही की समीक्षा प्रतिदिन क्षेत्राधिकारियों द्वार की जाये व प्रगति से मुझे अवगत कराया जायें।
4. जिला स्तरीय टॉप–10 अपराधी जो जमानत पर है उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
5. प्रत्येक थाना सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्रीशीट 02 दिवस में खोलना सुनिश्चित करें।
6. महिला सम्बन्धि अपराधों, गोवध, धारा 272,273 भादवि0 में गुण्डा/गैंगेस्टर व एच0एस0 की कार्यवाही की जाये।
7. 2019 तक की विवेचनाओं को जल्द से जल्द निस्तारण कर लिया जाये।
8. गैगेस्टर एक्ट की लम्बित अभियोगों का जल्द निस्तारण कर लिया जाये।
9. कोविड–19 के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को शत प्रतिशत पालन कराया जाय।
10. आबकारी रिपिटेड अपराधों में गुण्डा/गैंगेस्टर व एच0एस0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
11. एस0सी/एस0टी एक्ट के अभियोगों की विवेचनाओं को अभियान के दौरान गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण किया जाय।
12. महिला/बालकों से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचनाओं को अभियान के दौरान गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण किया जाये।
13. प्रत्येक थाना 07 दिवस के अन्दर गैंगों को चिन्हित कर एक–एक गैंग का पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
14. प्ररस्कार घोषित, टाप–10 की गिरफ्तारी हेतु गंभीर प्रयास सुनिश्चित करते हुए गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें।
15. अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की समय–समय पर गोष्ठी कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाये तथा निराकरण न होने की स्थिति में मुझे अवगत करायें।

बेहतर कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक दक्षिणटोला परमानन्द मिश्र, प्रभारी निरीक्षक डीसीआरबी तेजबहादुर सिंह तथा आरक्षी सिकन्दर को प्रशस्ति पत्र तथा नगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारी तथ अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजुद रहे।